

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 22 अगस्त, 2013

क्रमांक: एफ.3 (ख) (1) अलेसे-11/

शुद्धि-पत्र

विभागीय आदेश संख्या 203/2013-14 दिनांक 21.08.2013 के क्रम संख्या 04 (मेरिट नं० 272-बी/2011) श्री श्रीनाथ पुरोहित के नाम के कॉलम सं० 08 में अंकित "उपनिदेशक आईसीडीएस झालावाड" के स्थान पर "कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैसलमेर" पढ़ा जावे।


निदेशक

दिनांक:- 22 अगस्त, 2013

क्रमांक: एफ.3 (ख) (1) अलेसे-11/ 15073-79

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

..... को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करायें।

4. उप निदेशक आईसीडीएस झालावाड
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैसलमेर
6. श्री श्रीनाथ पुरोहित पुत्र श्री श्याम सुन्दर पुरोहित, मानेश्वर महादेव मंदिर के सामने, नत्थूसर गेट के अन्दर, बीकानेर- 334001 को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त कार्यालय में दिनांक 05 सितम्बर 2013 तक आवश्यक रूप से उपस्थित होकर उपस्थिति रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. संयुक्त निदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं रेकार्ड संधारित करने हेतु
8. निजी सहायक, निदेशक
9. गोपनीय शाखा
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)